

29/5/24

पत्रावली प्रेशुर्डी वकील वाही उपनिधतां
आदिनामं दिनांक 21/09/2023 के अनुसार
वाही का परिवारिगणो पर सामन के लिए
रजिस्टर्ड नलनी कारवाची जारी थी परन्तु
लगभग 08 माह ~~के~~ प्यतीर हे। जाम के
उपसामा नी वाही वकील द्वारा परिवारिगणों
के सामन के रजिस्टर्ड नलनी पेश नही
की गयी।

बाबजू दुहरे वाही रजिस्टर्ड
नलनी हेतु एक खर्चा के से बिजाल
रहें।

ज्ञान: वाही का वाड अडिशन
09 नियम 02 CR के तहत पोखरीप
नही हेतु से खारिज किया जाता है,
पत्रावली केवल शुमार हेतु कर
नकर के कानूनिय दायित्व दपार ही।
निर्णय द्वारा दिनांक 29/5/2024 को लेख
व्यवसाय में जुताया गया।


जयपुर नगर पंचायत

